उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-1
संख्याः 100 /6-पु-1-11-115/2011
लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2011
अधिसूचना

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5, सन् 1861) की धारा 46 की उपधारा (3) और धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 9 का संशोधन	उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिमानी अर्हता	9 अ अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र पदामत किया हो, या (3) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।	9 अ अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (3) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। टिप्पणीः- उक्तांकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में नियम 15 (च) के अधीन वरीयता दी जायेगी।

नियम 15 का संशोधन	उक्त नियमावली के नियम 15- पैरा (क) खण्ड क में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान उप खण्ड (सात) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया उपखण्ड रख दिया जायेगा।	
	स्तम्भ-1 विद्यमान उपखण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
	प्रत्येक आवेदन-पत्र में यथा स्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण-पत्र खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए। समुचित रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिए जहाँ से वे क्रय किये गये गये हों।	अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा- आयु, लिंग, शैक्षिक अर्हता, श्रेणी, अधिमानी अर्हता, राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक और अपना निवास स्थान का उल्लेख, ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में विहित स्थान पर करेगा। अभ्यर्थियों से ओ.एम.आर. को भलीभाँति भरकर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। आवेदन पत्र उसी डाकघर, बैंक में जहाँ से उन्हें खरीदा गया है, जमा किये जायेगें। उपर्युक्त अर्हता विवरण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों को अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही टीम द्वारा संवीक्षा के समय शारीरिक मापदण्ड परीक्षण के स्थान पर मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक मापदण्ड परीक्षा संचालित करने वाली अधिकारियों की टोली सुसंगत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों को स्वीकार करेगी और जमा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान और संवीक्षा भी करेगी जो कि अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किये हैं और इन सभी दस्तावेजों को भर्ती की प्रक्रिया की समाप्ति पर अपने पास रखेगी और भविष्य में पुष्टि और प्रलेखीकरण के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सौंप देगी।
	(ख) नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान खण्ड गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात:-	(ङ) (च) और (छ) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिये
	स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
	(ङ) <u>चिकित्सा परीक्षा:-</u> शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यार्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया <u>परिशिष्ट-3</u> मे दी गयी है।	(ङ) <u>लिखित परीक्षा:-</u> शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यार्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गयी है।
	(च) लिखित परीक्षा-चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गई है।	(च) <u>अन्तिम चयन सूची-</u> लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध

		अभ्यर्थियों के प्रत्येक श्रेणी की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गयी सूची को बोर्ड द्वारा अपनी संस्तुतियों के सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा और चरित्र/अभिलेख पुष्टि के अधीन होगा। यह सूची विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय के लिए अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी। इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वे सफल हुए हैं या विफल सभी अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची और अंको का विखण्डन वेबसाइट/नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जायेगा और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा जिससे अभ्यर्थी अपनी योग्यता स्वयं समझ सकें। बाहरी स्रोत अभिकरण अपेक्षित साफ्टवेयर को विकसित करेगा जिससे क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण से सम्बन्धित पहले से परिभाषित मानकों के आधार पर पूर्व अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार श्रेष्ठता सूची बनायी जा सके। तद्नुसार जनपदवार और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची बाहरी स्रोत अभिकरण द्वारा तैयार की जायेगी। बाहरी स्रोत अभिकरण सभी अभ्यथियों द्वारा प्राप्त अंको को उपलब्ध करायेगा जिस पर उस पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगें वह जिलेवार और श्रेणीवार चयन सूची उत्तरपुस्तिकाओं के साथ बोर्ड के अध्यक्ष को मुहरबन्द लिफाफे में प्रेषित करेगा। नोटः- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त करते हैं तो नीचे उल्लिखित क्रम में श्रेष्ठता सूची को अन्तिम करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगें:- (एक) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो प्रादेशिक सेना में, न्यूनतम दो वर्ष तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। जिस अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हता है तो इस खण्ड के अधीन केवल एक अधिमानी अर्हता की गणना की जायेगी। (दो) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी जिनको बराबर-बराबर अंक प्राप्त हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी, जो आयु में अधिक हों (तीन) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी जिनको

		बराबर-बराबर अंक प्राप्त हो जिनकी जन्मतिथि समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो अभिरूचि परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त किया हो। टिप्पणः- अभी भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों जिनके बराबर-बराबर अंक, अधिमान अर्हता, जन्मतिथि और अभिरुचि परीक्षण में समान अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के कम में पहले हो।
	(छ) <u>अन्तिम चयन सूची :-</u> बोर्ड राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता कम में अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। प्राप्तांक सहित श्रेष्ठता सूची वेवसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिससे कि वे व्यक्ति इस तथ्य के बिना कि वे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण हैं, अपने प्राप्तांको की जांच कर सकें। वाह्य साहित एजेन्सी जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर विकसित करेगी। तद्नुसार जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियां प्रकाशित की जायेगी। वाह्य सहायित एजेन्सी जिसमें लिखित परीक्षा संचालित की हो, अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रकों के साथ मुहरबन्द आवरण में प्रातांकों की सूची बोर्ड के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगी।	(छ) <u>चिकित्सा परीक्षण :-</u> नियम-15 के खण्ड (च) के अधीन बोर्ड से प्राप्त अन्तिम चयन सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित हों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम-13 के अधीन चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट-3 में दी गई है। चिकित्सा परीक्षण में अभ्यर्थी के स्वस्थता का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
नियम-16 का प्रतिस्थापन	4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके अपाराधिक अभिलेख का सत्यापन, जहॉ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिये। (क) चरित्र सत्यापन के लिये अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, होम गार्ड प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। (ख) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय	नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र पुष्टि पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के चरित्र की पुष्टि/प्रशस्ति पत्र यथासम्भव एक महीने के अन्दर पूर्ण की जायेगी। नियुक्ति पत्र के जारी करने के पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के परिवेक्षण के अधीन चरित्र पुष्टि पूर्ण की जायेगी। चरित्र पुष्टि के दौरान चरित्र पुष्टि प्रतिकूल पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में संलग्नक फार्मेट पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो फोटो और दिये गये स्थान पर दायें ओर बॉंये अँगूठे का निशान लगाना पड़ेगा। अभ्यर्थी को

	स्तर का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बॉयें हथेलियों के अंगूँठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकास खण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।	आवेदन पत्र में दिये गये सुसंगत स्थान पर पूर्ण रूप से अपना स्थायी पता और पत्राचार पता के साथ तहसील, विकासखण्ड, ग्राम, डाकघर और पिनकोड को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा।
नियम 18 का प्रतिस्थापन	5- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	नियुक्तियॉं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और विशेष वर्गों की अन्य श्रेणियों के आरक्षण से सम्बन्धित नियमों और शासनादेशों का सर्वथा अनुसरण करते हुये श्रेष्टता सूची के अनुसार की जायेगी। चरित्र और प्रमाण पत्रों का सत्यापन एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके पचात बोर्ड चयनित अभ्यार्थियों की सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिये उपलब्ध करायेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के भीतर अपनी ड्यूटी/प्रशिक्षण हेतु योगदान देंगे जिसमें विफल होने पर चयन सूची के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी। परन्तु सेवा में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।	नियुक्ति 18. नियुक्ति सूची क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रचलित नियम के अनुसार तैयार की गयी चयन सूची के अनुसार किया जायेगा, जो चिकित्सा परीक्षा में स्वस्थता और अभिलेख/प्रमाण पुष्टि के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा नियम 15 के खण्ड (च) के अधीन प्रेषित हो। अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा में अस्वस्थ पाये जाने या अभिलेख/चरित्रपुष्टि में प्रतिकूल तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की अनर्हता के सम्बन्ध विनिश्चय किया जायेगा। (क) नियुक्ति के पूर्व, अभ्यर्थी अपेक्षित आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/प्रादेशिक सेना/कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होम गार्ड सेवा के सबूत का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में जाति प्रमाण पत्र और क्षेतिज आरक्षण में अधिवास प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (ख) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि के लिए अपेक्षित हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र, खेल के जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र, जहाँ उर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण का मामला हो वहाँ पर अधिवास और श्रेणी के सबूत के लिए जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित अपने प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रारूप पर दायें और बायें हथेलियों के अंगूठे का निशान

		प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को अलग-अलग स्थायी पता और पत्राचार पता, प्रत्येक के साथ डाकघर सहित पिनकोड, विकास खण्ड, तहसील का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा। (ग) नियुक्ति प्राधिकारी इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक महीने के अन्दर अपनी सेवा/प्रशिक्षण में योगदान देगा, जिसमें असफल होने पर उनका चयन निरस्त समझा जायेगा। परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और वह उस पद पर कार्य कर रहा है तो इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन बनायी गयी समझी जायेगी।
परिशिष्ट-1 का संशोधन	6-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट एक के स्थान पर, स्तम्भ दो में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
	स्तम्भ एक विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ दो एतद् द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
शारीरिक मानक परीक्षण	परिशिष्ट - एक शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 03 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें:-- 1- परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2- चिकित्सक/कोषाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3- पुलिस उपाधीक्षक (1) पुलिस अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेन्टीमीटर, (2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीने का फुलाव** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो/अनुसूचित जातियों के लिए फुलाने पर 84 सेन्टीमीटर	परिशिष्ट - एक शारीरिक मानक परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमे निम्नलिखित सदस्य होगें :-- 1- परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर 2- चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3- पुलिस उप अधीक्षक (1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल और सत्यापित फोटो प्रतियों की संवीक्षा करें और ये संविक्षा शारीरिक मानक परीक्षण के स्थान पर ही की जायेगी और यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में दी गयी सूचना और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में कोई व्यतिक्रम हो तो उसकी जॉच की जायेगी। प्रमाण-पत्रों अर्थात् आयु - प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/प्रादेशिक सेना/कम्प्यूटर आप्लीकेशन प्रमाण-पत्र, होमगार्ड में सेवा करने का प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि उर्ध्वाधर आरक्षण का दावा किया जाय और आवास प्रमाण-पत्र यदि क्षैतिज आरक्षण का दावा किया जाय जो नियम 15 के खण्ड (क) के उपखण्ड (सात) के अधीन दिया गया हो, की

		भली-भाँति परीक्षण और मिलान करने के पश्चात दल सुसंगत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को स्वीकार करेगा और उन्हें अपने पास उस समय तक रखेगा जब तक कि भर्ती प्रक्रिया समाप्त ना हो जाय। तत्पश्चात उन्हें भविष्य में प्रलेखीकरण और पुष्टि के लिए नियुक्त प्राधिकारी को सौंप दिया जाय। (2) सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बंधित पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊँचाई 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।
	अनुसूचित जनजातियों के लिए 82 सेंटीमीटर टिप्पणी :- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। (2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक - ऊँचाई (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेटीमीटर है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सें0मी0 है। वजन :- 45 से 58 कि0ग्राम (3) स्टेडियम/पुलिस लाइन जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। (4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नही होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गये दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ सकती है। (5) दल के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होगें। (6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम,परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माइक पर उदघोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और	<u>सीने की माप :</u> सामान्य/ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बंधित पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर (बिना फुलाने पर) और कम से कम 84 सेंटीमीटर (फुलाने पर) एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर (बिना फुलाने पर) और 82 सेंटीमीटर (फुलाने पर) से कम नही होगा। नोट :- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। (3) <u>महिला के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊँचाई :</u> सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है। अनुसूचित जनजातियों के सम्बंधित महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है। <u>वजन :-</u> न्यूनतम 40 किलोग्राम (4) स्टेडियम/पुलिस लाइन में, जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहाँ परीक्षण आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण के लिए अर्हता हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। (पाँच) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन्स/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में 200 अभ्यर्थियों से अधिक की नही होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गये दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। (6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट

	यदि सम्भव हो तो बोर्ड की बेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। (7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	देते हुए पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होगें। (7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माइक पर उद्घोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की बेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। (8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।
<u>परिशिष्ट - दो का संशोधन</u>	7- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान खण्डों (ख) और (ड.) के स्थान पर, स्तम्भ दो में दिये गये खण्डों को रख दिये जायेगें, अर्थात् :-	
	स्तम्भ एक विद्यमान खण्ड (ख) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नही होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पायें। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जायेगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढाने का निर्णय ले सकता है। (ड.) जब भी 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जाय तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/ डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।	स्तम्भ दो एतद् द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड (ख) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के सदस्य सुनिश्चित करेगें कि सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण जो परीक्षा के लिए अनुसूची के अनुसार उपस्थित हो उसी दिन पूरी हो जाय। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जायेगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढाने का निर्णय ले सकता है। (ड.) शारीरिक दक्षता पूर्ण होने पर समस्त सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची उसी दिन दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।
परिशिष्ट - तीन का संशोधन	8- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये परिशिष्ट तीन के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थातः-	
चिकित्सा परीक्षा परिषद	स्तम्भ एक विद्यमान परिशिष्ट - तीन जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करायेगें। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और	स्तम्भ दो एतद् द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट - तीन <u>चिकित्सा परीक्षा परिषद :-</u> लिखित परीक्षा पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों, जो उत्तीर्ण हुए हों और अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त किये हों, को अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इस संव्यवहार का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा

	प्रकिया प्रभावित नही होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहॉ कहीं भी परीक्षण आयोजित होतो हैं, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।	बोर्ड के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 50) का विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रकिया प्रभावित न हो। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिए विनिश्चय किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षा में अर्ह होने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहॉ कहीं भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण	(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लेट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वैरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। (ख) दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा और माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और साथ ही जहॉ भी संभव हो परिषद की वेबसाईट पर अद्यावधिक किया जायेगा। (ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।	(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लेट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। (ख) दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा और माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और साथ ही जहॉ भी संभव हो परिषद की वेबसाईट पर अद्यावधिक किया जायेगा। (ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।
परिशिष्ट - चार का संशोधन	9- उक्त नियमावली में परिशिष्ट - 4 में नीचे (त) के स्थान पर, स्तम्भ दो में दिये गये खण्ड प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें, अर्थात् :-	स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (ड.) और
	अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुँच जाय और भिन्न-भिन्न सीरीजों के प्रश्नों के सही उत्तर	(ड.) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 पत्रक तीन प्रतियों में होगा जिसकी मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कापी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कापी अभ्यर्थियों के लिए होगा। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के

	अन्तिम ज्येष्ठता सूची की घोषणा के साथ बेबसाइट पर प्रकाशित किये जायं, जिससे अभ्यर्थी को अपने अंक स्वयं जानने में सुविधा हो सके यदि किसी अभ्यर्थी को यह अनुभव हो कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे बोर्ड की हेल्पलाइन/बेबसाइट के माध्यम से 07 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति अवश्य दाखिल करने चाहिए। बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आगामी 07 दिनों के भीतर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण करें।	साथ कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। (त) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक तत्काल मुख्यालय में पहुँचाये जायं और विभिन्न श्रंखलाओं के प्रश्नों के समुचित उत्तर अभ्यर्थी को स्वयं अपने अंकों की जानकारी करने के लिए सुगम बनाने हेतु बेवसाइट पर प्रकाशित किया जाय। यदि कोई अभ्यर्थी यह अनुभव करता है कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे 7 दिन के अन्तर्गत बोर्ड की हेल्पलाइन/बेवसाइट के माध्यम से लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करना होगा।

आज्ञा से,

(नेतराम)
प्रमुख सचिव

संख्या- 100(1)/6-पु-11-115/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को नियमावली की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ कि नियमावली के अंग्रेजी व हिन्दी अनुवाद को विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड (क) परिनियत आदेश के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 1000 प्रतियाँ शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(5) कार्मिक अनुभाग-1/2
(6) भाषा अनुभाग-5
(7) विधायी अनुभाग-1
(8) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक।
(9) गृह विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

MO

(राकेश चन्द्रा)
विशेष सचिव।